संख्याः- 34 /2018/2190 /अड़तीस-7-2018-138नरेगा/2012टीसी

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
वन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग,
कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग,
पंचायती राज विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 26 अक्टूबर, 2018

विषयः- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स विभागों (लाइन विभागों) द्वारा किये जाने वाले कार्यो की योजना तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए श्रम बजट निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। मनरेगा योजनान्तर्गत श्रम बजट निर्माण की कार्यवाही समयबद्ध है। मनरेगा अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप, ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले समस्त कार्यों पर ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य है।इसके दृष्टिगत मनरेगा कन्वर्जेन्स के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी विभागों के लिए श्रम बजट निर्माण की समय सारिणी महत्वपूर्ण है।

2- मनरेगा कन्वर्जेन्स के अंतर्गत कार्यदायी विभागों द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यो को विभागीय बजट से अभिसरण(कन्वर्जेन्स) करते हुए परियोजनाओं के चयन की कार्यवाही की जानी है। भारत सरकार एवं शासन द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में प्राथमिकता प्रदान करते हुये महत्वपूर्ण कार्यों यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, वृक्षारोपण, नदियों का पुनरूद्धार ,पूर्व से संचालित ग्रामीण हाट बाजारों का स्तरोन्नयन, व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य, वर्मी/नेडप कम्पोस्ट इत्यादि परियोजनाओं के चयन की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यदायी विभागों के माध्यम से सम्पादित की जानी है।

3- मनरेगा योजनान्तर्गत शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-26/2450/38-7-2014- 138नरेगा/2012 दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत लाइन विभाग यथा वन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, पंचायती राज विभाग,युवा कल्याण विभाग इत्यादि के जनपद स्तरीय अधिकारियों को कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग) नामित करते हुए लाइन विभागों को ई-मस्टर रोल निर्गत करने, एम0बी0 करने एवं भुगतान करने इत्यादि की शक्तियां प्रदान की गयी है।

4- अत: मनरेगा कन्वर्जेन्स के अंतर्गत कार्यरत उपरोक्त विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है कि वे अपने विभाग से संबंधित ऐसे कार्यों, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित हो, को ''शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट'' में सम्मिलित कराते हुए ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर श्रम बजट निर्धारण के लिए जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समन्वयक की मुख्य भूमिका है, जो समस्त प्रस्तावों को सम्मिलित कर जनपद की वार्षिक कार्ययोजना एवं श्रम बजट को अंतिम रूप प्रदान करते है। इससे स्पष्ट है कि समस्त विभागों को जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन में यह कार्यवाही सम्पादित करानी है।

5- अत: उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आपसे अपेक्षित है कि मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित किये जा रहे श्रम बजट में अपने विभाग से संबंधित कन्वर्जेन्स के कार्यों को नियमानुसार श्रम बजट में सम्मिलित कराने हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या- 34/2018/ 2190(1)/अड्तीस-7-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. विभागाध्यक्ष, वन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग,पंचायती राज विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग।
4. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कन्वर्जेन्स विभागो से तत्काल समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक कार्य मनरेगा कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें।
5. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।